

डिकरी व मुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20 रूल 8-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत उपजिला कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा, आर.ए.एस

दुन्हा बनाम पूरन बगी

दावा बाबत 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 12/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु- व हाजरी वादी
मिनजानिब मुददत व मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुकम दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि


वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुरे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 08.12.2024 के अनुसार अंकित हाल आराजी खसरा नम्बर 199, 200 वाके ग्राम ऐंचेरा तहसील स्थित नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुरे विमाजन प्रस्ताव दिनांक 06.12.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुरे रिपोर्ट दिनांक 06.12.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज - मुबलिंग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत


उपस्थिति अधिपति
नदबई (भरतपुर)

मुददई	रुप्या	पैसा	मुददालय	रुपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनागा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक		
मीजान			मीजान		



1. दुन्डा पुत्र बत्तो जाति घोबी निवासी मझोरा तहसील व जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)
वादी

बनाम

2. पूरन पुत्र ज्वाली जाति कोली निवासी बरसो तहसील भरतपुर।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण


27/01/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.
12/2021

रजू दिनांक
14.01.2021

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
27.01.2025

उनवान

1. दुन्डा पुत्र बत्तो जाति धोबी निवासी मझोरा तहसील व जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

वादी

बनाम

1. पूरन पुत्र ज्वाली जाति कोली निवासी बरसो तहसील भरतपुर।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महावीर प्रसाद एडवो0 वादी की ओर से
दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए एक्ट

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 27.01.2025 को श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 199, 200 वाके ग्राम ऐंचेरा स्थित नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुरे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 06.12.2024 के अनुसार अंकित हाल आराजी खसरा नम्बर 199, 200 वाके ग्राम ऐंचेरा तहसील स्थित नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुरे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.12.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते हैं। कुरे रिपोर्ट दिनांक 06.12.2024 प्रदर्श-“अ” इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहदा, किसी भी रूप में किसी

27/01/25

भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.01.25 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

27/01/25
(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मदनदबई (मरतपुर)

